बी० आर० अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

पत्रांक 0/2885 दि 3/11/2007

प्रेषक :

प्रो०(डा०) विजय कुमार जायसवाल
अध्यक्ष, छात्र कल्याण
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

1. विभागाध्यक्ष,
सभी स्नातकोत्तर विभाग,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

2. प्राचार्य,
क- सभी अंगीभूत महाविद्यालय,
ख- सभी सम्बद्ध महाविद्यालय,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत ।

ज्ञा०, दिनांक .....07.

विषय:- इंटरमीडियेट/स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन हेतु बिहार गजट (असाधारण) 10 सितम्बर 2003 द्वारा किये गये प्रावधानों के कार्यान्वयन करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि उप सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 2/एम-1-96/2003 -1380 दिनांक 22.8.07 के साथ बिहार गजट (असाधारण) 10 सितम्बर03 की छाया प्रति प्राप्त हुई है । इस गजट में नामांकन के सम्बन्ध में प्रकाशित अधिसूचनाएँ निम्न प्रकार है :-

बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003

2.....नामांकन में आरक्षण विनियमन :- पूर्णत: या अंशत: सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन निम्नांकित रीति से विनियमित किया जा सकेगा, यथा-

क- खुली सामान्य कोटि से - 50 प्रतिशत
ख- आरक्षित कोटि से - 50 प्रतिशत

2. आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों अधीन निम्नांकित रूप से होगी :

क-	अनुसूचित जातियाँ	16 प्रतिशत
ख-	अनुसूचित जन जातियाँ	01 प्रतिशत
ग-	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	18 प्रतिशत
घ-	पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत
ङ-	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	03 प्रतिशत
	कुल -	50 प्रतिशत

6. (क) सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु निर्धारित मापदंड प्राप्तांक आदि के सम्बन्ध में निम्नतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों को नामांकन का क्रमिक अवसर देने के बाद यदि किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो तो उसे निम्नांकित रीति से विनियमित किया जायेगा ।

(1) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच विनियम संभव होगा।
(2) अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के बीच विनियमन संभव होगा ।

कृ०उ०

3/11/7

ख-उपधारा (6) के खंड (क) में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद यदि किसी आरक्षित वर्ग का आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं हो पाता है तो उक्त रिक्तियों के उसी सत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से उसे सम्यक रूप से अनारक्षित घोषित कर दिये जाने पर उसके विरुद्ध गैर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन उक्त सत्र के लिए प्रशासी विभाग द्वारा कर दिया जायेगा ।

ग- पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नांकित अधिमानता क्रम में भरा जायेगा ।

1- अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से ।
2- अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से ।
3- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से ।
4- पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से ।

उपर्युक्त अधिसूचनाऐं के आलोक में सभी वर्गों में नामांकन किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्र निर्गत किए गए हैं ।यह भी अतिरिक्त स्थानों के अन्तर्गत प्रभावी रहेंगे ।

अत: सभी विभागाध्यक्षों एवं प्राचार्यों से अनुरोध है कि बिहार गजट में प्रकाशित अधिसूचनाऐं का कठोरतापूर्वक पालन करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

2.11.07

(भी० के० जायसवाल)
अध्यक्ष, छात्र कल्याण ।

1541841086